SSC GD 2025

अवसर बैच

Polity:-

Class-09

→ राष्ट्रपति पर महाभियोग → राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया

Impeachment of the president → संविधान के विरूद्ध कार्य

अनु. 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण (Viola-tion) किए जाने पर उसकी विरुद्ध महाभियोग (Impeachment) चलाया जा सकता है। Art 61 According to this, if the president violates the constitution impeachment can be initiated against him.

↳ महाभियोग का प्रस्ताव (Motion of impleachment → पेश (introduce ↳ either House of Parliament संसद के किसी भी सदन

• महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रकिया है। Impeachment is a quasi-judicial process conducted by parliament
→ USA से लिया गया है।

• महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। A motion of impeachment can be introduced in either House of Parliament. ① प्रस्ताव की सूचना (notice) राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देगी।
↳ LS = 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर

ex - Motion (प्रस्ताव) → Introduced in L.S.
② LS में पेश

③ चर्चा (Debate) LS में (MPs)

④ पारित (Pass) → 2/3 Majority | 2/3 बहुमत से

(RS) → ① पेश (introduced) ③ Pass → 2/3 Majority
② चर्चा (Debate)

LS => 543 => 543 × 50% + 1
उपस्थित और मतदान
Present & Voting × 2/3

→ राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति
Fulfill the vacancy of president

अनु० 62

पद रिक्त कब होगा? => भरने के लिए 6 माह अंदर - 2 निर्वाचन

- मृत्यु
- त्यागपत्र
- महाभियोग
- अन्य कारण

=> कार्यवाहक राष्ट्रपति
Acting President => राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करता है।
कार्यकाल (Tenure)
⇓
6 months (6 माह)

→ कार्यवाहक राष्ट्रपति
→ उपराष्ट्रपति (Vice-president) → ये पद भी रिक्त हैं।
→ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (chief justice of Supreme court)
→ " " " वरिष्ठ " (Most senior judge of S. Court)
(33) → other judges

=> 1967 => राष्ट्रपति => डा० जाकिर हुसैन
↳ 1967 - (1969) → death मृत्यु

1969 => उपराष्ट्रपति => वी० वी० गिरी → त्यागपत्र

→ Chief justice of S. court
↳ 1969 => एम० हिदायतुल्ला
↳ कार्यवाहक राष्ट्रपति

यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जायेगा। If the post of president falls vacant due to death resignation, impeachment or any other reason, then lection will held within 6 months to fill it.

→ राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद / उपराष्ट्रपति

• अनुच्छेद-71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायेगा, तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। Art. 71 states that disputes relating to the election of the president and vice-president shall be decided by the supreme court & its decision shall be final.

ex - (A) ⇒ राष्ट्रपति → supreme court
↳ 2 साल ⇒ भ्रष्टाचार (निर्वाचन)

Q ⇒ यदि किसी राष्ट्रपति चुनावों में विवाद के कारण उच्चतम न्यायालय द्वारा हटाया जाता है तो उसके द्वारा किये गये कार्य वैध (valid) होंगे या अवैध (invalid).

Ans - Valid (वैध)

→ कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Power)

• अनु॰ -53

• अनु॰ 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकीय कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। According to Art. 77, all executive actions of the government of India are performed in the name of the president.

PM & COM ⇒ कार्य = नाम
↓↓
राष्ट्रपति

• वह भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। He appoints the Prime Minister of India and other key officials of the union.

नियुक्तियाँ →

① PM
② CON
③ महान्यायवादी (Attorney General)
④ Governor (राज्यपाल)
⑤ Judges of Supreme court or Highcourt
⑥ UPSC (Union Public service commission)
⑦ वित्त आयोग (अध्यक्ष + सदस्य)
⑧ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त etc.

→ विधायी शक्तियाँ (Legislative Power)

• संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्य सभा तीनों से मिलकर होता है * (अनु०-79)

Parliament is formed by president, Lok sabha and Rajya sabha* (Art-79)

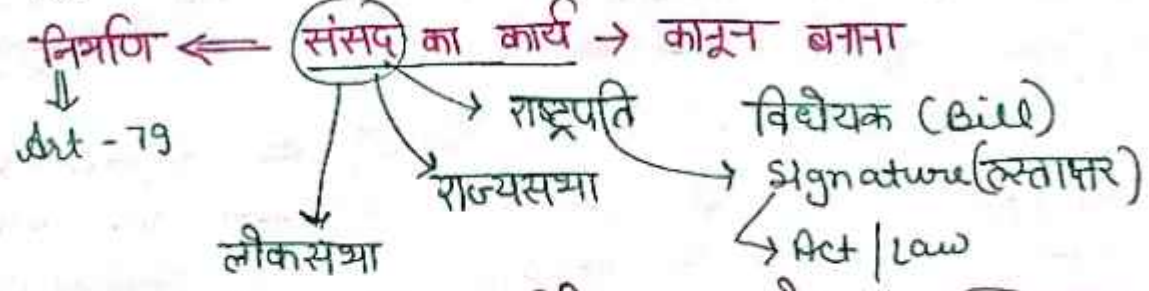

• राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। The president has the power to summon the parliament and announce its propagation.

सत्र / अधिवेशन तुलना।
↳ बैठकें

सत्र का अंत
(End of Session)

राष्ट्रपति (एक वर्ष → 12 महीने) में संसद की कम से कम दो बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। The president is bound to convene at least two meetings of the parliament in a year.

सत्र - 3

बजट सत्र (Budget session)
मानसून सत्र (Monsoon ")
शीतकालीन सत्र (winter ")

} कम से कम 2 ⇓ 1 वर्ष में (12 months)

I session ⇓ II^nd सत्र
अधिकतम अंतराल (Max^m Gap)
→ 6 माह | Months

अनु॰ 85 - लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व भंग कर सकता है। Art. 85 - Lok sabha can be dissolved before its fixed term

राष्ट्रपति द्वारा भंग ← (प्रधानमंत्री की सलाह पर)

लोकसभा का कार्यकाल → 2 वर्ष बाद भंग | विघटन
Tenure of LS ⇒ 5 वर्ष Dissolved

अनु॰-87 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। Art - 87. addresses the joint sitting of the 2 houses of the parliament.

अनु॰ - 86 - संसद के किसी सदन को, लम्बित किसी विधेयक के संबंध में संदेश (Message) भेजने का अधिकार भी है। Article 86 - There's also the right to send a message to either House of Parliament regarding a pending bill

अनु० - 111
⇓
राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ

⇒ राष्ट्रपति इन वीटो शक्तियों का प्रयोग (विधेयक → Bills) पर सकते हैं।

1. साधारण विधेयक (ordinary Bill) ⇒ 3 veto powers का प्रयोग
2. धन विधेयक (Money bill) → Absolute veto, Pocket veto use
3. संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment Bill)
   ⇓
   कोई वीटो Power का प्रयोग नहीं।

1. आत्यंतिक वीटो (Absolute Veto) → जब राष्ट्रपति बिल पर हस्ताक्षर करने से मना करदें।
2. निलम्बनकारी वीटो (suspension Veto) → जब राष्ट्रपति बिल को पुनर्विचार के लिए LS + RS. को भेज दें।
3. जेबी वीटो (Poket Veto) → जब राष्ट्रपति विधेयक को रखकर भूल जाते हैं।
   ⇓
   Use ⇒ ज्ञानी जैल सिंह
   ↳ 1986 ⇒ डाकघर संशोधन विधेयक (Post office Amendment bill)

लेकिन पुनर्विचार के पश्चात बिल यदि राष्ट्रपति के पास वापस आता है तो वह हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है।

→ क्या होता है? ⇒ यह संसद के कानून की तरफ (It's like law of parliament)

Art. 123 ⇒ अध्यादेश (ordinance)

↳ कौन जारी? ⇒ राष्ट्रपति द्वारा जारी (issued by president)

↳ क्यों जारी? ⇒ जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से एक सदन सत्र में न हों (कार्य न कर रहा हो)

↳ अध्यादेश पर LS. or R.S. का अनुमोदन (Approval) सदनों के दोबारा कार्य करने के दिन से 6 सप्ताह (6 weeks) के अंदर = 2

- ✓ → Act | law
- ✗ → समाप्त

⇒ अध्यादेश की अधिकतम अवधि (बिना अनुमोदन) ⇒ 6 months, 6 weeks

→ 6 माह, सप्ताह